प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021
केम्प :- सादी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

---

क्रमांक/ प्रा० पत्र/98/2021/ दिनांक 26/10/2021

## आदेश

प्रार्थी बरदा पिता डालू ~~जाट~~ जरिया निवासी सादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सादी की आधार जमाबन्दी मे खाता संख्या 22 पर जगा मोहन बरदा रत्या पिता डालिया आदि नाम दर्ज है जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व गत जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 मे श्री जगा मेगा बरदा काना पिता डालिया आदि दर्ज था अतः पूर्व खाते मे दर्ज अनुसार नवीन रेकार्ड मे नाम शुद्ध करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2052 के खाता सं. 22 मे जगा मोहन बरदा रत्या पिता डालिया शेष बहादुर चमार दर्ज है, जबकि सेटलमेन्ट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 की खाता संख्या 63 मे श्री जगा मेगा बरदा काना पिता डालिया शेष बहादुर चमार दर्ज था। इस प्रकार गत सेटलमेन्ट मे मेगा काना दर्ज होकर सेटलमेन्ट बाद मोहन रत्या दर्ज होगया है, जिससे वर्तमान रेकार्ड मे मेगा काना दर्ज किया जाना उचित है। अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी ग्राम सादी पटवार हल्का सादी की जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के खाता संख्या 61 मे मोहन, रत्या पिता डालिया के [illegible] पिता डालिया अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं [illegible] यथावत रहेगी। तदनुसार राजस्व रेकार्ड [illegible] जावे। पालनार्थ तहसीलदार बस्सी को लिखा जावे।

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ता. की. 54
26/10/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:42:14 IST
Reason: SelfAttested